न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **13/2017** प्रार्थना पत्र (रसद)

राज्य सरकार जरिये श्याम प्रतापसिंह, प्रवर्तन अधिकारी

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री देवीलाल पालीवाल, उचित मूल्य दुकानदान घाटा, ग्राम पंचायत काछबा, तहसील गोगुन्दा

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्रः— अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. श्री विजयसिंह, पैरोकार सरकार
2. श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक : 09.04.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्यामप्रतापसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य विभाग के पत्रांक 77 (1) खा.वि./सर्त./विविध/2017 ए. दिनांक 19.07.17 जयपुर पत्र की अनुपालना में खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल श्री वीरेन्द्रसिंह शेखावत, जिला रसद अधिकारी खाद्य विभाग जयपुर, श्री कुशाल बिलाला प्रवर्तन अधिकारी जयपुर, श्री रामस्वरूप जाट प्रतर्वन निरीक्षक जयपुर द्वारा आवंटीत क्षेत्र उपखण्ड गोगुन्दा जिला उदयपुर के उचित मुल्य दुकानदार घाटा डीलर श्री देवीलाल पालीवाल, की दुकान का दिनांक 22.07.17 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। डीलर की मशीन संख्या 4599 से डे रिपोर्ट और करंट स्टॉक की पर्ची ली गई। जिसके अनुसार गेहूॅ की बिक्री 970 किलोग्राम मिली। केरोसीन तेल व चीनी की बिक्री शून्य मिली। करन्ट

स्टॉक में चीनी 35.50.65 किग्रा, केरोसीन 165.75 लीटर एवं गेहूॅ 8090. 00 किग्रा दर्ज हैं। डीलर के द्वारा सितम्बर 2016 के स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर 2017 का था इसलिये इसका प्रारम्भिक स्टॉक शून्य मानते हुए गणना की गई। एसएसओ पोर्टल से पीओएस की ट्रान्जेक्शन समरी दिनांक 01.09.16 से 21.07.17 से बिक्री ली गई। मशीन से जॉच दिनांक को डे रिपोर्ट के अनुसार गेहूॅ की बिक्री 970 किग्रा चीनी की शून्य और केरोसीन की कुल बिक्री शुन्य हैं। इस बिक्री को पीओएस ट्रांजेक्शन समरी की बिक्री में जोड़ा गया। इस दुकान पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की सही स्थिति मालूम करने के लिये केरोसीन, गेहूॅ, चीनी की आपूर्ति व डीलर के वितरण की स्थिति जिला रसद कार्यालय उदयपुर से ली गई जिसमें गेहूॅ रेकर्ड के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर 80.90 क्विंटल अधिक मिला, केरोसीन 1.00 लीटर अधिक मिला एवं लेवी चीनी 93 किलो अधिक पायी गई। इस प्रकार डीलर द्वारा पीओएस मशीन में गलत तरीके से अधिक स्टॉक चढाया गया हैं। अधिक पाये गये 80.09 गेहूॅ, 93 किलोग्राम चीनी एवं 1 लीटर केरोसीन को जॉच दल की अनुशंषा कर मौके पर जब्त किया गया। जिसे श्री रमेश चन्द्र उचित मुल्य दुकानदार सेन्टर सुरजगढ़ पर सिपुर्द किया गया।

इस प्रकार डीलर देवीलाल द्वारा अपने वितरण कार्य में गम्भीर किस्म की अनियमितताऍ की गई हैं। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6,8,11,17 सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पीडीएस ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी स्पष्ट उल्लंघन हैं। जो ईसीएक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः जब्त गेहूॅ, चीनी व केरोसीन को राज्यसात किये जाने का श्रम करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में निवेदन किया कि माह सितम्बर 2016 से जुलाई 2017 तक का कुल गेहूँ 95500 किलो गेहूँ प्राप्त हुआ था। माह सितम्बर 2016 में बिल संख्या 5099 दिनांक 23.09.16 से प्राप्त 40 क्विंटल गेहूँ का अंकन हॉलसेलर द्वारा जॉच दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया। मात्र 55 क्विंटल गेहूँ का ही उपलब्ध करवाया गया था जो कि बिल नम्बर 5094 दिनांक 08.09.16 से प्राप्त हुआ। वक्त निरीक्षण 01.09.16 को पूर्व का 44.25 क्विंटल गेहूँ का अंकन भी जॉच दल द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में नहीं किया गया हैं। इस प्रकार कुल सितम्बर से 21.07.17 तक सेन्टर पर 999.25 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हुआ और 918.35 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया। 80. 90 क्विंटल गेहूँ भौतिक सत्यापन करने पर शेष रहे थे। जो स्वीकार हैं। इसी प्रकार चीनी के संबंध में निवेदन है कि जबकि चीनी का प्रारम्भिक पोते 112 क्विंटल था। जबकि जॉच दल द्वारा प्रारम्भिक पोते कुछ भी नहीं बताया एव बिल नम्बर 5648 दिनांक 05.12.16 जो कि 2000 किलोग्राम लेवी चीनी का कटवाया था परन्तु सेन्टर पर 23.50 किलो चीनी कम प्राप्त होने से वास्तविक प्राप्त मात्रा की रसीद दी गई। एवं 112 किलोग्राम पूर्व का स्टॉक पोते था। वक्त जॉच मौके पर 345 किलोग्राम चीनी उपलब्ध होने के बावजुद भी बिना तौले ही जॉच दल द्वारा अंदाज से 350 किलोग्राम चीनी लिख दी गई। इस प्रकार जॉच दल द्वारा 93 किलोग्राम चीनी अधिक होने का जो कथन किया गया है वह गलत हैं एवं केरोसीन मौके पर पूरा था। परन्तु एक लीटर का जबदस्ती कमी बताकर परेशान करने की नियत से अंकित कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सविस्तार सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का परीशीलन किया गया। बहस पर मनन किया गया। विपक्षी द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत गेहूॅ बीपीएल स्टॉक एवं अन्त्योदय गेहूॅ का स्टॉक दिनांक 01.09.16 का अवलोकन किये जाने पर जाहीर आया कि दिनांक 01.09.16 को अन्त्योदय गेहूॅ 12.75 क्विंटल एवं बीपीएल गेहूॅ 32.50 क्विंटल स्टॉक में दर्ज था। जिसका जॉच दल द्वारा अपनी रिपार्ट में अंकन नहीं किया गया। इसी प्रकार माह सितम्बर में जॉच दल द्वारा होलसेलर द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 55 क्विंटल गेहूॅ की ही आपूर्ति का उल्लेख किया गया है जबकि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिल नम्बर 5099 दिनांक 23.09.16 से 40 क्विंटल गेहूॅ की आपूर्ति हुई हैं। जिसका उल्लेख होलसेलर द्वारा अपने दिये गये स्टेटमेंट में नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में निरीक्षण दल द्वारा 915 क्विंटल गेहू का उल्लेख किया गया हैं। पूर्व का शेष गेहूॅ 44.25 क्विंटल बनता हैं एवं माह सितम्बर में 40 क्विंटल गेहूॅ डीलर को और प्राप्त हुए इस प्रकार निरीक्षण की आलौच्य अवधि में डीलर के पास सेन्टर घाटा पर कुल 999.25 क्विंटल गेहूॅ आना पाया जाता हैं। जिसमें से निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार 918.35 क्विंटल गेहूॅ वितरण हो चुक हैं। शेष 80.90 क्विंटल गेहूॅ रहता हैं जो निरीक्षण दल द्वारा स्टॉक के मुकाबले अधिक बताकर जब्त किया गया हैं। जबकि उक्त गेहूॅ सेन्टर घाटा का ही हैं। जिसे डीलर पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जहॉ तक न्यायालय का मानना है की एक लीटर केरोसीन स्टॉक के मुकाबले अधिक मिला था परन्तु जॉच दल द्वारा किस पैमाने से केरोसीन नापा जिसका स्पष्ट उल्लेख अपनी जॉच रिपोर्ट में नहीं हैं। एक लीटर केरोसीन 6635 लीटर केरोसीन की आपूर्ति में अधिक या कम होना कोई मायने नहीं रखता हैं। जहॉ तक लेवी चीनी का प्रश्न है विपक्षी द्वारा 112 किलो

चीनी प्रारम्भिक स्टॉक सितम्बर की बतायी गई है परन्तु प्रारम्भिक स्टॉक के संबंध में कोई स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उसका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है परन्तु उसके द्वारा 20 क्विंटल लेवी चीनी जो कि उसे दिसम्बर 2016 में प्राप्त हुई थी। उक्त लेवी चीनी डीलर को 23.50 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त हुई। यह कथन स्वीकार योग्य है क्योंकि इसके संबंध में डीलर द्वारा बिल मय प्राप्ति रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गई हैं। 23.50 क्विंटल लेवी चीनी सेन्टर पर कम प्राप्त होना माना भी जावे तो भी 69.50 क्विंटल लेवी चीनी भौतिक सत्यापन पर अधिक रहती है जो राज्यसात किये जाने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर डीलर देवीलाल द्वारा अपने वितरण कार्य में अनियमितताएँ की गई है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड (3) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6,8,11,17 सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पीडीएस ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी स्पष्ट उल्लंघन हैं। जो ईसीएक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः जब्त लेवी चीनी 93 किलो में से 69.50 किलो को राज्यसात किया जाकर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा किया जावें एवं वितरण व्यवस्था में की गई गम्भीर अनियमितता के कारण 1500/– रूपये की सिक्यूरीटी राशि जब्त सरकार की जाती हैं। शेष जब्त गेहूँ एवं केरोसीन उचित मुल्य दुकानदार घाटा डीलर श्री देवीलाल पालीवाल को सिपुर्द किया जावें। यदि जब्त गेहूँ केरोसीन लेवीचीनी का वितरण कर दिया गया हो तो प्राप्त राशि में से 69.50 किलो लेवीचीनी की राशि राजकोष में जमा करायी जावें। शेष राशि डीलर को रसीदन उपलब्ध करायी जावें। यदि खाद्य सामग्री का

वितरण नहीं किया गया हो तो नियमानुसार समस्त जब्त गेहूँ केरोसीन एवं लेवीचीनी का वितरण वैध उपभोक्ताओ में विधिवत पीओएस मशीन से वितरण करवाया जावे।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, द्वितीय उदयपुर को प्रेषित कर लिखा जाता है कि निर्णय की पालना की जाकर राज्यसात लेवी चीनी 69.50 की राशि मय जब्त प्रतिभूति की राशि जरीये चालान से जमा करा चालान की एक प्रति इस न्यायालय को प्रेषित करें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर